भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1391
दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों में महिला प्रतिनिधि

†1391. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक जिले में आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों का चयन और विकास किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) और (ख) पंचायतों का गठन और संचालन राज्यों द्वारा बनाए गए राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से होता है। पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका का मूल्यांकन और पंचायत संबंधी सभी कार्य राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। हालांकि, मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों आदि के माध्यम से पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243घ प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या और प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में से महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करता है। हालांकि, 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने इससे आगे बढ़कर अपने-अपने पंचायती राज अधिनियमों/नियमों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है।

मंत्रालय ने 01.04.2022 से 31.03.2026 (15वें वित्त आयोग अवधि के साथ सह-समाप्ति) तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों को नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए सक्षम बनाना है जिससे सरकार के तीसरे स्तर को विकसित किया जा सके ताकि वे सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण को पूरा करने में सक्षम हो सकें। वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (24 जुलाई 2025 तक) तक कुल 25,13,543 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मंत्रालय ने ग्राम सभा से पहले महिला सभा आयोजित करने की अनिवार्यता पर परामर्शिकाएं जारी की है, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन के लिए जमीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती और सक्रिय भागीदारी की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला-केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि के आवंटन के लिए राज्यों को परामर्शिकाएं भी जारी की गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थानों की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यू. ई. आर.) की क्षमता निर्माण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है ताकि सुशासन को प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए उनके नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल को और मजबूत किया जा सके। प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना है; निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा प्रभावी महिला नेतृत्व वाले शासन के लिए नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना है|

(ग) मंत्रालय ने इन ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के थीम-9 (महिला हितैषी ग्राम पंचायत) में संतृप्त करके चयनित ग्राम पंचायतों को बदलने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन ग्राम पंचायतों को मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी) में बदलने के लिए प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत की पहचान और चयन किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महिला एवं बाल विकास सहित संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से और पंचायत विकास सूचकांक संस्करण 1.0 के तहत थीम-9 के विषयगत स्कोर आदि के आधार पर मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायतों का चयन किया है।

****